

निदेशालय कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एक 4 (52) आर/वि/अनु/समा/निदेश-2011-12

दिनांक- 13/07/2011

आदेश

निम्नलिखित महाविद्यालयों को राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमोदन को अनुत्तर जमावही तक 2011-12 से पूर्व में आवंटित संकायों/विषयों में स्वयं अभावित प्रमाण-पत्र निम्नलिखित शर्तों के अंतर्गत प्रदान किया जाता है:-

क्र. सं.	पंच. सं.	महाविद्यालय का नाम	समाविष्टता का नाम	संबद्ध विश्वविद्यालय	विषय/विषय
1	4	बनारस महिला महाविद्यालय	सुरुज शर्मा, बेगम राज, जयपुर विदेश-जयपुर	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	पूर्व आवंटित विषय का संकाय

नोट- संस्था 6 माह में सम्बन्धित विश्वविद्यालय से संबंधित सहायक को अनुमोदन पत्र प्रेषित करने का समय है।

1. संबंधित विश्वविद्यालय से सम्बन्धित सहायक को संबंधित राज्य सरकार का होगा।
2. संस्था महाविद्यालय में कार्यरत सहायक को अनुमोदन प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर ही प्रमाण-पत्र प्रेषित करने का निर्णय लेना है।
3. राज्य सरकार संस्था का योगदान / प्रतिशत में कम होना कोई बिल्टीय गहा-त नहीं देगी।
4. संस्था को समय-2 पर सुझावों/समा-संकाय/निदेशालय को लिखित शिका-तों को निर्देशों को फलतः अनिवार्य रूप से करनी होगी।
5. संस्था द्वारा राज्य सरकार से प्राप्त होने वाले अनुमोदन प्रमाण-पत्र को प्रेषित करने में देरी होनी चाहिए।
6. संस्था को सहायक को अनुमोदन प्रमाण-पत्र को प्रेषित करने में देरी होनी है कि संस्था द्वारा प्रमाण-पत्र को प्रेषित करने में देरी होनी है कि संस्था द्वारा प्रमाण-पत्र को प्रेषित करने में देरी होनी है कि संस्था द्वारा प्रमाण-पत्र को प्रेषित करने में देरी होनी है।
7. संस्था को प्रमाण-पत्र में देरी होनी है कि संस्था द्वारा प्रमाण-पत्र को प्रेषित करने में देरी होनी है कि संस्था द्वारा प्रमाण-पत्र को प्रेषित करने में देरी होनी है कि संस्था द्वारा प्रमाण-पत्र को प्रेषित करने में देरी होनी है।
8. संस्था को देरी होनी है कि संस्था द्वारा प्रमाण-पत्र को प्रेषित करने में देरी होनी है कि संस्था द्वारा प्रमाण-पत्र को प्रेषित करने में देरी होनी है कि संस्था द्वारा प्रमाण-पत्र को प्रेषित करने में देरी होनी है।
9. किसी महाविद्यालयों को प्रमाण-पत्र को प्रेषित करने में देरी होनी है कि संस्था द्वारा प्रमाण-पत्र को प्रेषित करने में देरी होनी है कि संस्था द्वारा प्रमाण-पत्र को प्रेषित करने में देरी होनी है कि संस्था द्वारा प्रमाण-पत्र को प्रेषित करने में देरी होनी है।
10. प्रति वर्ष निदेशालय से संबंधित प्रमाण-पत्र को प्रेषित करने में देरी होनी है कि संस्था द्वारा प्रमाण-पत्र को प्रेषित करने में देरी होनी है कि संस्था द्वारा प्रमाण-पत्र को प्रेषित करने में देरी होनी है कि संस्था द्वारा प्रमाण-पत्र को प्रेषित करने में देरी होनी है।

निदेशक
कालेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर

प्रतिनिधि निम्नलिखित का रूप में प्रमाण-पत्र को प्रेषित करने में देरी होनी है कि संस्था द्वारा प्रमाण-पत्र को प्रेषित करने में देरी होनी है कि संस्था द्वारा प्रमाण-पत्र को प्रेषित करने में देरी होनी है कि संस्था द्वारा प्रमाण-पत्र को प्रेषित करने में देरी होनी है।

1. निदेशक, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निदेशक, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निदेशक, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. निदेशक, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. निदेशक, राजस्थान सरकार, जयपुर।
6. निदेशक, राजस्थान सरकार, जयपुर।
7. निदेशक, राजस्थान सरकार, जयपुर।
8. निदेशक, राजस्थान सरकार, जयपुर।
9. निदेशक, राजस्थान सरकार, जयपुर।

संयुक्त-निदेशक (अनुमोदन)

18
प्राचार्य
बनारस महिला पी. जी. महाविद्यालय
जयपुर

राजस्थान सरकार
शिक्षा विभाग

आयुक्तालय कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

दिनांक:- 5/6/17

क्रमांक : एफ 4 (725) अकाशि/नि.स./2007/1111

आदेश

राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के आधार पर अकादमी सत्र 2017-18 से निम्नलिखित महाविद्यालय को स्नातक व स्नातकोत्तर स्तर पर पूर्व संचालित संकाय/विषय में स्थाई अनापत्ति प्रमाण-पत्र निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान किया जाता है:-

महाविद्यालय का नाम व पता	सम्बद्ध विश्वविद्यालय	संचालित संकाय/विषय
बगरू महिला पी.जी. महाविद्यालय, बड़ी का खेड़ा, बेगस रोड़, बगरू, जयपुर।	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।	स्नातक स्तर पर- वाणिज्य संकाय- ए.बी.एस.टी, ईएफएम, व्यावसायिक प्रशासन। स्नातकोत्तर स्तर पर- कला संकाय- राजनीति विज्ञान, भूगोल।

- संबंधित विश्वविद्यालय एवं बी0सी0आई0 से संबद्धता प्राप्त करने का दायित्व स्वयं संस्था का होगा।
- संस्था महाविद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु यू.जी.सी. अर्हताधारी प्राचार्य एवं व्याख्याताओं तथा निर्धारित मानदण्डानुसार अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति के साथ-2 अन्य निर्धारित शर्तों की पालना करेगी।
- राज्य सरकार संस्था को वर्तमान व भविष्य में इस हेतु कोई वित्तीय सहायता नहीं देगी।
- संस्था को समय-2 पर यू.जी.सी./राज्य सरकार/आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा द्वारा जारी निर्देशों की पालना अनिवार्य रूप से करनी होगी।
- संस्था द्वारा राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 तथा तत्सम्बन्धी नियम 1993 के सभी उपबन्धों की निरन्तर अनुपालना सुनिश्चित की जायेगी।
- संस्था को स्थाई मान्यता इस शर्त पर जारी की जाती है कि संस्था द्वारा उपरोक्त शर्तों का कभी भी उल्लंघन करने पर उनके विरुद्ध कार्यवाही कर स्थायी मान्यता को प्रत्याहृत (Withdraw) किया जा सकता है।
- संस्था को प्रत्येक सत्र में कम से कम एक बार आयुक्तालय से निरीक्षण करवाने हेतु आवेदन करना होगा।
- संस्था को दो वर्ष की अवधि में NAAC से मूल्यांकन करवाना अनिवार्य होगा।
- विधि महाविद्यालयों को बी.सी.आई. के नियमों की निरन्तर अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी।
- संस्था प्रति वर्ष आयुक्तालय/ नजदीकी राजकीय महाविद्यालय/ विभाग की वेबसाइट www.dce.rajasthan.gov.in से सांख्यिकी पुरितका एवं महाविद्यालय विवरणिका प्राप्त कर निर्धारित अवधि में पूर्ण सूचनाये भरकर आयुक्तालय को भेजेगी।
- संस्था महाविद्यालय की website बनाकर आयुक्तालय को 15 दिवस में website address की सूचना देगी।
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के वेबपोर्टल aishe.nic.in पर महाविद्यालय को रजिस्टर करवाकर DCF- II (Data Capture format) भरकर प्रतिवर्ष अपलोड करना अनिवार्य होगा। महाविद्यालय इसकी Hard copy आगामी 15 दिवस में आयुक्तालय में प्रस्तुत करें। इस डाटा के आधार पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा विकसित वेबपोर्टल Know Your College पर महाविद्यालय की जानकारी सामान्य जन एवं छात्रों को उपलब्ध हो सकेगी।
- उपरोक्त शर्तों की पालना नहीं करने पर स्थायी अनापत्ति प्रमाण-पत्र को प्रत्याहृत कर लिया जायेगा।

आयुक्त
कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाथ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

- विशेष सहायक, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
- निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- जिला कलेक्टर, जयपुर।
- कुल सचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
- सचिव, सम्बन्धित महाविद्यालय।
- सांख्यिकी शाखा, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
- रक्षित पत्रावली

5/6/17
संयुक्त-निदेशक (नि.स.)
कालेज शिक्षा, जयपुर(राज.)

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ4 ()आकाशि/नि.सं./2007/134

दिनांक:- 25-2-19

3

आदेश

राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 तथा तत्संबंधी नियम, 1993 एवं राज्य सरकार द्वारा जारी अद्यतन निजी महाविद्यालय नीति के अन्तर्गत सत्र 2019-20 से स्नातक व स्नातकोत्तर स्तर पर नवीन व पूर्वसंचालित संकाय/विषय में स्थाई अनापत्ति प्रमाण-पत्र निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान किया जाता है:-

संचालक संस्था	महाविद्यालय का नाम	सम्बद्ध विश्वविद्यालय	पूर्वसंचालित संकाय व विषय
चौधरी चरण सिंह महाविद्यालय शिक्षा समिति, बगरू, जयपुर।	बगरू महिला पी.जी. महाविद्यालय, बड़ी का खेड़ा, बगस रोड़, बगरू, जयपुर।	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।	स्नातक स्तर पर नवीन संकाय- विज्ञान संकाय- प्राणीशास्त्र, वनस्पतिशास्त्र, भौतिक शास्त्र, रसायनशास्त्र, गणित। स्नातकोत्तर स्तर पर पूर्वसंचालित संकाय- एम.ए.- इतिहास, हिन्दी साहित्य।

- संस्था प्रत्येक सत्र में निर्धारित अवधि में नियमानुसार मय वार्षिक शुल्क आवेदन करेगी।
- आवश्यकतानुसार आयुक्तालय द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा महाविद्यालय का निरीक्षण किया जा सकेगा तथा संस्था अधिकृत अधिकारी द्वारा चाहा गया अभिलेख उपलब्ध करायेगी।
- संस्था को समय-समय पर यू.जी.सी./राज्य सरकार/आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा द्वारा जारी निर्देशों की पालना अनिवार्य रूप से करनी होगी।
- संस्था संबंधित विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त करेगी तथा विधि महाविद्यालय के प्रकरण में बी०सी०आई० से मान्यता व विश्वविद्यालय से संबद्धता पर अनुमोदन प्राप्त करेगी। तत्पश्चात् ही विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाये।
- संस्था को दो वर्ष की अवधि में NAAC से मूल्यांकन करवाना अनिवार्य होगा।
- संस्था द्वारा सावधि जमा राशि (एफ.डी.आर.) का प्रत्येक 5 वर्ष में नवीनीकरण करावा जाना अनिवार्य होगा।
- संस्था महाविद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु यू.जी.सी. अर्हताधारी प्राचार्य एवं व्याख्याताओं तथा निर्धारित मानदण्डानुसार अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति के साथ-साथ अन्य निर्धारित शर्तों की पालना करेगी।
- राज्य सरकार संस्था को वर्तमान व भविष्य में इस हेतु कोई वित्तीय सहायता नहीं देगी।
- संस्था संकाय व विषयवार सीटों का आवंटन विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त कर, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा विभाग को सूचित करेगी तथा महाविद्यालय तदनुसार तय संख्या सीमा में ही प्रवेश दिया जाना सुनिश्चित करेगा।
- राज्य सरकार की निजी महाविद्यालय नीति 2019-20 तथा बाद में जारी होने वाली नीतियों का पालन करना होगा।
- संस्था प्रति वर्ष विभाग की वेबसाइट www.hte.rajasthan.gov.in से सांख्यिकी पुस्तिका एवं महाविद्यालय विवरणिका प्राप्त कर निर्धारित अवधि में पूर्ण सूचनाएं भरकर आयुक्तालय को भेजेगी।
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के वेबपोर्टल www.aishenice.in पर महाविद्यालय को रजिस्टर करवाकर DCF- II (Data Capture format) भरकर प्रतिवर्ष अपलोड करना अनिवार्य होगा। महाविद्यालय इसकी हार्ड कॉपी आगामी 15 दिवस में आयुक्तालय में प्रस्तुत करेगा।

उपर्युक्त शर्तों की पालना नहीं करने पर स्थायी अनापत्ति प्रमाण-पत्र को प्रत्याहरित कर लिया जायेगा।

आयुक्त
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -
- विशिष्ट सहायक, मा० उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
 - निजी सचिव, अति० मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
 - जिला कलेक्टर, जयपुर।
 - कुल सचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
 - सचिव, सम्बन्धित महाविद्यालय।
 - सांख्यिकी शाखा, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
 - रक्षित पत्रावली

संयुक्त-निदेशक (नि०सं०)
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर